# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़
## (पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार प्रथम, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या–13/2026 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. विकमसिंह पुत्र किशनसिंह<br>2. किशनसिंह पुत्र सावलसिंह जाति राजपूत निवासी हरसाणी तहसील गडरारोड | | तहसीलदार गडरारोड |

उपस्थित :– 1. श्री ईश्वरसिंह भाटी अधिवक्ता – प्रार्थी।

## –:: आदेश ::

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर **1070** रकबा 10.6837 हैक्टेयर मौजा हरसाणी पटवार मण्डल हरसाणी, तहसील गडरारोड़ में आया हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी जोत में आने जाने हेतु गै.मु. गोचर के खसरा नंबर 1037 रकबा 29.3073 में से होकर नया मार्ग खुलवाना चाहते है। प्रार्थीगण प्रस्तावित नवीन मार्ग को पीढीयो से उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है उक्त रास्ता चलायमान रास्ता है और अभिलेख में भी इसी रास्ते से आवागमन हो रहा है। यह मार्ग धारा 251 ए उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत को हरसाणी से चाहडीयाली जाने वाले सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 (क) की सम्पूर्ण अर्हताएं यथा आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम दूरी होना पूरी करता है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि उसके आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा उसके लिए निर्धारित प्रारूप के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार करवा कर ग्राम पंचायत हरसाणी के प्रस्ताव एंव अनुमोदन सहित पटवारी व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एंव अभिशंषा सहित श्रीमान को भेजी गई जिस पर श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर द्वारा दिनांक 05.02.2026 को सार्वजनिक रास्ते हेतु गोचर भूमि का वर्ग परिवर्तन कर सार्वजनिक रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड (बाड़मेर)

तहसीलदार गडरारोड़ से उक्त प्रस्तावित रास्ते के संबंध में धारा 251 (क) के नियमानुसार तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित [illegible] अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता [illegible] नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:38 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट व दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार गडरारोड़ की मौका रिपोर्ट अनुसार यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में आने–जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होना स्वतः साबित है। प्रार्थीगण के खेत को हरसाणी से चाहडीयाली

Scanned with OKEN Scanner

...ने वाले सड़क मार्ग तक पहुंचने हेतु खसरा नंबर 1037 से गुजरने वाला रास्ता ही निकटतम दूरी पर होना मौका रिपोर्ट अनुसार साबित है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के मानदण्डों को पूरा करता है। अतः मौका फर्द के सलंग्न नक्शे में बरंग लाल दर्शित खसरा नम्बरान की भूमि में से रास्ता स्वीकार करने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर **1070** रकबा 10. 6837 हैक्टेयर मौजा हरसाणी पटवार मण्डल हरसाणी, तहसील गडरारोड से हरसाणी से चाहडीयाली जाने वाले सड़क मार्ग तक जाने हेतु खसरा नम्बर 1037 रकबा 29.3073 हेक्टेयर में से 0.0900 हैक्टेयर सलंग्न नक्शे अनुसार रास्ता निकालने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार गडरारोड़ एंव श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर की स्वीकृति आदेश कमांक प.12( )( )राज/2026/381 दिनांक 05.02.2026 के अनुसार उक्त रास्ते में गोचर भूमि 0.0900 हैक्टेयर आती है। प्रभावित गोचर भूमि के क्षतिपूर्ति के बदले प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1070 रकबा 10.6837 में से गोचर भूमि के लगती हुई 0.0900 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए किस्म गै.मु. गोचर की जावें।

तहसीलदार गडरारोड़ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा संलग्न मौका फर्द के सलंग्न नक्शे में बरंग लाल दर्शाये अनुसार भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी गैर मुमकीन रास्ता दर्ज कर एंव प्रभावित गोचर भूमि के क्षतिपूर्ति के बदले प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1070 रकबा 10.6837 में से गोचर भूमि के लगती हुई 0.0900 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए किस्म गै.मु. गोचर की जावें। तद्नुसार तरमीम करें। मौका फर्द के सलंग्न नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) गडरारोड़

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 12.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) गडरारोड़

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गडरारोड, जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner